चुनाव याचिका के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नः

1– चुनाव याचिका क्या है?

चुनाव याचिका, संसदीय, विधानसभा एंव स्थानीय चुनावों के परिणाम की वैधता के जांच की एक प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों मे यह कानून के तहत विधानसभा या संसदीय चुनावों में चुने जाने वाले उम्मीदवारों के चुनाव को चुनौती देने की एक प्रक्रिया है।

2– हम चुनाव याचिका कहां दायर कर सकते हैं?

जिस राज्य में चुनाव आयोजित किया गया है उस राज्य के उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर की जा सकती है। केवल उच्च न्यायालय ही चुनाव याचिकाओं पर निर्णय लेने का मूल क्षेत्राधिकार रखता है। इस तरह के याचिका की सुनवाई सिर्फ उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा की जाती है और मुख्य न्यायाधीश समय–समय पर एक या अधिक न्याधीशों को यह कार्य सौंप सकते हैं।

3– चुनाव याचिका दायर करने के लिए कौन योग्य है?

किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव याचिका केवल उस निर्वाचन क्षेत्र से खड़े हुए उम्मीदवार या उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता द्वारा दायर की जा सकती है। मतदाता वह है जो उस चुनाव में मतदान करने का हकदार है जिस चुनाव से सम्बन्धित याचिका दायर की जा रही है, चाहे चुनाव याचिका कर्ता ने मतदान किया हो या नहीं, यह सारहीन है (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम) के अनुभाग 81 (1) के तहत।

4– चुनाव याचिका की सीमा अवधि क्या है?

चुनाव परिणाम की घोषणा से 45 दिनों के अंदर चुनाव याचिका दायर की जा सकती है

5– चुनाव याचिका दायर करने में कितना खर्च आता है?

राज्यों के उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार, निवेदक को 2000 रुपये जमा करने होते हैं। किंतु चुनाव याचिका दायर करने का खर्च हर एक उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार बदल सकता है।

6– चुनाव याचिका में किन बातों का विवरण आवश्यक है?

एक चुनाव याचिका में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए–

- जिन प्रमाणो पर एक चुनाव याचिका आधारित है उसका एक संक्षिप्त विवरण होना चाहिए।
- आवेदक कर्ता ने जिस भ्रष्ट आचरण के बारे में दोषारोपण किया है उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए जिसमें राजनीतिक दल जिनपर यह आरोप है उनका नाम, घटना की तिथि तथा जगह की जानकारी एक शपथपत्र के रूप में होनी चाहिए।
- आवेदन के साथ सम्मिलित संलग्नक एंव अतिरिक्त दस्तावेज़ों पर आवेदन कर्ता के हस्ताक्षर एंव सत्यापन होने चाहिए।
- सभी आरोपों एंव भ्रष्ट आचरणों के समर्थन में आवेदन के साथ निम्नलिखित स्वरूप में एक शपथपत्र भी होनी चाहिए (Form 25, http://lawmin.nic.in/legislative/election/volume%202/conduct%20of%20election%20rules,%201961.pdf).

7– आवेदनकर्ता द्वारा चुनाव याचिका में किन–किन चीज़ो की मांग की जा सकती है?

आवेदन कर्ता विजयी उम्मीदवार के चुनाव को खारिज करने की मांग के अलावा यह भी दावा कर सकता है कि वह असली विजेता है।

8– चुनाव याचिका दायर करने या चुनाव को खारिज करने के लिए क्या आधार है ?

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 100 के तहत किसी उम्मीदवार के चुनाव को खारिज किया जा सकता है, यदि उच्च न्यायालय की ऐसी राय है:–

- अपने चुनाव की तारीख पर एक निर्वाचित उम्मीदवार योग्य नही था या चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
- निर्वाचित उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट या किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा जो उसके साथ हो, के द्वारा किया गया कोई भी भ्रष्ट व्यवहार (जैसा की नीचे उल्लेखित है) किया गया हो।

- कोई अनुचित स्वीकृति या नांमाकन
- कोई अनुचित स्वागत द्वारा, इंकार द्वारा या किसी भी उचित मतदान की अस्वीकृति या स्वीकृति की गई हो।
- संविधान या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम प्रावधानों या उसके अर्न्तगत आने वाले नियमों एंव आदेशों का गैर अनुपालन किया गया हो।

9– भ्रष्ट आचरण के अर्न्तगत क्या–क्या सम्मिलित है ?

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के तहत, निम्न भ्रष्ट तरीके हैं–

- चुनावों मे वोटरों को उम्मीदवार या उसके एजेंट द्वारा रिश्वत (उपहार, प्रस्ताव, वादा, संतुष्ति) देना।
- अनुचित प्रभावः उम्मीदवार या उसके/उसकी एजेंट द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव जैसे की धमकी देना, भड़काना, लोकनीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन इत्यादि।
- बल प्रयोग द्वारा
- उम्मीदवार या उसके एजेंट द्वारा लोगों से धर्म, जाति, भाषा एंव समुदाय के तहत वोट डालने अथवा ना डालने की अपील करना। इसके अर्न्तगत अलग–अलग वर्गो एंव समुदायों में भाषा, जाति, समुदाय एंव धर्म के नाम पर शत्रुता या घृणा को बढ़ावा देना।
- राष्ट्रीय प्रतीक तथा राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय संप्रतीक का उपयोग या दुहाई।
- उम्मीदवार या उसके एजेंट द्वारा चुनाव में फायदे के लिए झूठा बयान देना।
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधिनियम 25 एंव 29(1) के तहत निषेध गाड़ियों को किराये पर लेना या खरीदना।
- अपने चुनाव खर्च के बारे में गलत बयान देना।
- सरकारी कर्मचारियों को चुनाव में फायदे के लिए काम करवाना। यह सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं– गजेटेड आफिसर, मजिस्ट्रेट, सेना के लोग, पुलिस आफिसर, ऐक्साइज़ आफिसर एंव रिवेन्यु आफिसर (गांव के रिवेन्यु आफिसर को छोड़कर)।
- उम्मीदवारों या उसके एजेंट द्वारा बूथ कैप्चरिंग करना।

(पूर्ण सूची के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 देखें– http://lawmin.nic.in/olwing/Election%20Manual/EM_H1/EM_4(people%20represent%20act%201951).pdf)

10– जब एक उम्मीदवार के तहत एक से अधिक चुनाव याचिका दायर की जाती है तब कोर्ट ऑफ लॉ क्या कर सकती है?

जहाँ एक ही चुनाव के लिए एक से अधिक चुनाव याचिका उच्च न्यायालय में दायर की जाती है तब उन सारे याचिकाओं को एक ही जज को रेफ़र कर दिया जाता है अब यह उसका अधिकार क्षेत्र है कि वह सारे आवेदनों पर एक साथ विचार करे या अलग–अलग।

11– चुनाव याचिका में ट्रायल की समय सीमा क्या है?

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम सारी चुनाव याचिकाओं पर जल्दी से जल्दी कार्यवाही करने का सुझाव देता है। अधिनियम के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा यह कोशिश रहनी चाहिए कि 6 महीनों के अन्दर (जिस तिथि में यह आवेदन उच्च न्यायालय में पेश हुआ है) ऐसे मामलों में अन्तिम आदेश ले लिया जाना चाहिए।

12– उस स्थिति में जबकि विजयी उम्मीदवार का चुनाव खारिज कर दिया जाता है तब उसके द्वारा खारिज होने से पहले लिए गये फैसलों का क्या होता है?

जब किसी उम्मीदवार का चुनाव खारिज कर दिया जाता है तब उसके द्वारा लिए गए फैसले एंव संसद एंव विधानसभा में किए गए कार्य रद्द नही किए जाएगें तथा ऐसे उम्मीदवारों पर इन कार्यवाहींयों को करने के लिए किसी तरह का जुर्माना नही भरना पड़ेगा ना ही किसी तरह की सज़ा होगी।

13– एक चुनाव याचिका को कैसे वापस लिया जा सकता है?

किसी भी चुनाव याचिका को केवल उच्च न्यायालय की मर्ज़ी से ही वापस लिया जा सकता है। जब किसी चुनाव याचिका को वापस लिया जाता है तो इसका निर्देश याचिका में सम्मिलित सभी दलों को दिया जाना चाहिए तथा इसकी घोषणा एक सरकारी राजपत्र (Official Gazette) में की जानी चाहिए।

14– किस स्थिति में एक चुनाव याचिका का उपशमन (Abatement) होता है?

चुनाव यायिका का उपशमन एकमात्र याचिकाकर्ता की या कई याचिकाकर्ता में से उत्तरजीवी की मृत्यु पर होगा।

15— उच्च न्यायालय एक चुनाव याचिका पर लिए गए अन्तिम आदेशों की घोषणा कहाँ करता है?

एक चुनाव याचिका में अन्तिम आदेश लेने के तुरन्त बाद उच्च न्यायालय को इस बात की जानकारी भारतीय चुनाव आयोग को तथा संसदीय अध्यक्ष या राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को (जैसा भी उचित हो) देनी चाहिए। उच्च न्यायालय को फैसले की एक प्रमाणित कॉपी भी चुनाव आयोग को भेजनी चाहिए।

16— उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ कहाँ पर अपील की जा सकती है?

उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

17— उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के लिए सीमा अवधि क्या है?

उच्च न्यायालय के आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपील करना उचित होता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट समाप्ति की तारीख के बाद भी किसी अपील की सुनवाई कर सकता है अगर आवेदन कर्ता के पास समाप्ति की तारीख के बाद अपील करने का उचित कारण हो।

18—एक चुनाव याचिका कब निष्फल घोषित की जाती है।

सामान्यतः एक चुनाव याचिका उसी स्थिति में निष्फल घोषित की जाती है जब – अपील की समय सीमा बीत गई हो, उम्मीदवार की सदस्यता खत्म हो गई हो या फिर आवेदन से सम्बन्धित पक्षों की मृत्यु हो गई हो।

19— दायर की गई चुनाव याचिकाओं के कुछ उदाहरणः

- अशोक चवन एंव मधु कौड़ा के खिलाफ चुनाव याचिका दायर की गई थी जिसकी वजह थी 2009 के चुनाव के दौरन अखबार में किया गया प्रचार (Paid News)। 5 मई 2013 की सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत अशोक चवन एंव मधु कौड़ा के मामले में भारतीय चुनाव आयोग को 45 दिन के अन्दर पूछताथ करने एंव अन्तिम निर्णय लेने का निर्देश दिया गया।
- भारतीय चुनाव आयोग नें उत्तरप्रदेश से महिला विधायक, उमलेश यादव को अयोग्य करार दिया क्योंकि उन्होने चुनाव के दौरान खर्च की गई राशि का ब्यौरा गलत दिया था।

- इंदिरा गांधी के खिलाफ भी एक चुनाव याचिका दायर कि गई थी जिसका कारण था चुनाव के दौरान गैर कानूनी तरीकों का प्रयोग करना। उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी तथा उनको 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था।
- पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के खिलाफ भ्रष्ट आचरण एंव मतों की जोड़–तोड़ के आरोप पर एक चुनाव याचिका दायर की गई।